भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2308

जिसका उत्तर सोमवार, 15 दिसंबर, 2025/24 अग्रहायण, 1947 (शक) को दिया गया

पुरानी पेंशन योजना का कार्यान्वयन

2308. श्री एंटो एन्टोनी: श्री अमरा रामः
श्री उत्कर्ष वर्मा मधुरः श्री इमरान मसूदः
क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का अपने कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) और एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) को समाप्त करके पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) कार्यान्वित करने का विचार है और यदि हां, तो इसकी समय-सीमा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या कई राज्य सरकारों ने अपने कर्मचारियों के लिए ओपीएस लागू की है और यदि हां, तो केंद्र के पास जमा की गई निधि को राज्य सरकारों को वापस करने की प्रक्रिया क्या है और जिन राज्यों में ओपीएस लागू है, उनके द्वारा जमा की गई धनराशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यूपीएस पेंशन प्रणाली में कोई विसंगतियां हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या यह सच है कि कर्मचारियों की सेवा के दौरान उनके वेतन से काटा गया अंशदान उन्हें सेवानिवृत्ति के समय वापस नहीं किया जाएगा; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क): राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) अथवा एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) के अंतर्गत आने वाले केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के संबंध में पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) को बहाल करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ख): राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकारों ने पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) को अपने राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) को पुन: आरंभ करने के अपने निर्णय के बारे में सूचित कर दिया है। पीएफआरडीए (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत निकासी और आहरण) विनियम, 2015 के साथ पठित पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 के और अन्य सुसंगत विनियमों के अंतर्गत ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, जिसके माध्यम से अभिदाताओं की संचित राशि जैसे सरकारी अंशदान, एनपीएस में कर्मचारियों के अंशदान के साथ-साथ उपार्जन को वापस किया जा सकता है और राज्य सरकार को वापस जमा किया जा सकता है।

(ग) से (ङ): निधि-आधारित पेंशन प्रणाली होने के कारण यूपीएस, कर्मचारियों को सुनिश्चित भुगतान के लिए लागू योगदान (कर्मचारी और नियोक्ता दोनों से) के नियमित और समय पर संचय तथा निवेश पर निर्भर करता है। यूपीएस के अंतर्गत, सेवानिवृत्ति के समय अभिदाता नीचे दिए गए लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र है:

i. 25 वर्ष की न्यूनतम अर्हक सेवा के लिए अधिवर्षिता से पहले पिछले 12 महीनों में आहरित औसत मूल वेतन के 50% की दर से सुनिश्चित भुगतान। यह भुगतान न्यूनतम 10 वर्ष की सेवावधि तक के लिए आनुपातिक होना चाहिए।

ii. कानूनी रूप से विवाहित पति या पत्नी को उसके निधन से ठीक पहले कर्मचारी को स्वीकार्य भुगतान के 60% की दर से सुनिश्चित पारिवारिक भुगतान।

iii. न्यूनतम 10 वर्ष की अर्हक सेवा के बाद अधिवर्षिता पर प्रति माह 10,000 रुपये का न्यूनतम भुगतान।

iv. सुनिश्चित भुगतान पर, सुनिश्चित परिवार भुगतान पर, और सुनिश्चित न्यूनतम भुगतान पर मुद्रास्फीति सूचकांक। सेवारत कर्मचारियों के मामले में महंगाई राहत औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (एआईसीपीआई-आईडब्ल्यू) पर आधारित होगा।

v. सेवा के प्रत्येक पूर्ण छह महीने के लिए सेवानिवृत्ति की तारीख को मासिक परिलब्धियों (मूल वेतन + डीए) के 1/10 की दर से ग्रेच्युटी के अलावा सेवानिवृत्ति पर एकमुश्त भुगतान। यह भुगतान सुनिश्चित पेआउट की मात्रा को कम नहीं करेगा।

vi. एक बार पेआउट शुरू होने के बाद कर्मचारियों की सेवा के दौरान उनके वेतन से काटे गए अंशदान को वापस करने का कोई प्रावधान नहीं है। हालाँकि, यूपीएस अभिदाता या कानूनी रूप से विवाहित पति या पत्नी, जैसा भी मामला हो, के पास यूपीएस से जुड़े पीआरएएन में उपलब्ध अधिवर्षिता या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति या मूल नियम 56(जे) के अंतर्गत सेवानिवृत्ति की तारीख को व्यक्तिगत कॉर्पस या बेंचमार्क कॉर्पस, जो भी कम हो, के 60% से अनधिक राशि निकालने का विकल्प होगा, बशर्ते कि ऐसे यूपीएस अभिदाता को देय सुनिश्चित भुगतान में आनुपातिक कमी की जाए।

****